मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 65 | जनवरी, 2020 | अंक 1 | कुल पृष्ठ 8

डॉ० पंजाबराव देशमुख जी की 121वीं जयंती पर भारत कृषक समाज की श्रद्धांजलि

हमने 27 दिसंबर, 2019 को डॉ० पंजाबराव देशमुख जी की 121वीं जयंती मनाई। वे भारत कृषक समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दिन पूरे देश में हम और भारत कृषक समाज की सभी शाखाऐं उनके कार्यों और उनके विचारों को स्मरण करने के लिऐ बैठकें और गोष्ठियां, वार्तालाप और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। डॉ० देशमुख ने भारत कृषक समाज के बीज बोऐ थे और अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके इसे सशक्त बनाया। इस दिन हम उन्हें देश के शोषित किसानों के एक अगुवा और मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। डॉ० देशमुख जिन आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिऐ अपना पूरा जीवन लड़े वे अभी भी पूरे नहीं हुऐ और न ही उनकी प्राप्ति हो पाई। यह युद्ध अभी चल रहा है। हम आज भी शोषित, पिछड़े और गरीब किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के कल्याण और उन्नति के लिऐ संघर्ष कर रहे हैं और सभी जोखिमों और कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं जिनके लिऐ हमारे नेता डॉ० पंजाबराव देशमुख ने संघर्ष किया था।

डॉ० देशमुख गांधी जी, नेहरू जी और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य निःस्वार्थ राष्ट्रीय नेताओं के समय के प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने इन नेताओं के बताऐ हुऐ मार्ग को ईमानदारी से अपनाया और इसका परिणाम भी आया तथा भारत की सबसे पहली और बड़ी किसानों की संस्था 'भारत कृषक समाज' की स्थापना की। आज भारत कृषक समाज के 1 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। जब डॉ० देशमुख ने किसानों के कल्याण के लिऐ शुरूआत की थी उस समय किसानों की स्थिति निराशाजनक और बद्तर थी। उन्होंने इस चुनौती को सविकार किया और किसानों को भारत कृषक समाज के बैनर के तले संगठित किया। वे स्वंय एक किसान थे और उन्होंने अंग्रेजों के समय के अत्याचार और निर्धनता देखी थी, जब किसानों के पास पहनने को कपड़े नहीं और खाने को अनाज भी नहीं था। इस दिशा में उन्होंने सबसे पहले किसानों की नई पीढ़ी

को शिक्षित करना उचित समझा ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण की और कानून की पढ़ाई करने के बाद लोगों की सेवा में जुट गऐ। महाराष्ट्र में अमरावती के एक छोटे से गांव में पैदा हुऐ वे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री के पद तक पहुंचे। हमें उनकी 121वी जयंती के मंगल दिवस पर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिऐ कि हम उनके आदर्शों और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे तथा इसके लिऐ संघर्षरत रहेंगे।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

सभापति का पत्र :

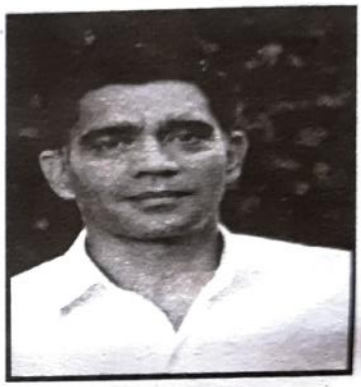

किसान यूनियनों को भारत में फलों, सब्जियों और प्रोटीन के लिए उपभोक्ता मांग पैदा करके पोषण में सुधार करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है, जो दुनिया में सबसे कम में होता है। लेकिन सरकार की नीति खाद्य दुर्गों में से एक में स्थानांतरित हो रही है।

समाधान के रूप में पीएम–किसान या नकद हस्तांतरण का समर्थन करने वाले कई किसान संगठन यह महसूस नहीं करते हैं कि बदलती कथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण शिक्षा, स्वच्छता, कृषि विस्तार, पशु चिकित्सा सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन जैसी सरकार द्वारा प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को धीरे–धीरे समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

राजनीतिक दलों से संबद्धता युनियनों के लिए एक जहरीली गोली बन रही है। उनके नेतृत्व अक्सर परिवार के मामले बन गए हैं, जहां संबद्धता को उनके राजनीतिक गुरू के सत्ता में होने पर अच्छे पदों से पुरस्कृत किया जाता है। समस्या को जोड़ना जातिगत रियायतों की मांग है, जिससे विश्वास का ह्रास हुआ है, नेतृत्व प्राधिकरण कमजोर हुआ और किसानों की एकता नष्ट हुई।

प्रणाली में और किसान नेताओं में विश्वास खो देने के बाद, स्थानीय मुद्दों पर क्षणिक रूप से फैलने वाला, बिना किसी विरोध के सर्पिल शुरू हो जाएगा और व्यापक ग्रामीण अवज्ञा में प्रकट होगा, जैसे 2016 में हरियाणा में जातीय, प्रवासी या जातिगत संघर्षों के कारण।

भाजपा ने 'खाद्य मुद्रास्फीति शमन उपायों' को प्राथमिकता देकर राजनीतिक रूप से हासिल किया है, जो किसान आजीविका के बिगड़ने की उच्च लागत पर आए हैं। किसानों और उनका

प्रतिनिधित्व करने वालों को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। सरकार को लगातार तंग करने के बजाय, उन्हें रणनीति बदलने की जरूरत है, हारने वालों के रूप में व्यवहार करना बंद करें और स्पष्ट रूप से समझें कि वे बिना किसी कारण के सूप में हैं, इसके अलावा उन्होंने अपनी स्थिर आर्थिक स्थिति के अलावा अन्य मापदंडों पर वोट देने के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति विकसित की है।

मैं खेत के समर्थन को कम करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कृषि इको–सिस्टम सेवाओं के लिए सब्सिडी के अनिवार्य पुनरूत्थान के लिए हूं। यह संक्रमण किसानों के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला है और यह संभव हो सकता है यदि किसान नेता बार–बार यह समझाने के लिए पहुंचते हैं कि सब्सिडी की वर्तमान संरचना न केवल आत्म–पराजित हो रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लागत को भी स्थानांतरित करती है। केवल और केवल तभी, राजनेताओं को बोल्ड संरचनात्मक सुधार शुरू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और साहस मिलेगा।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

कृषि और भारतीय अर्थतंत्र में इसका महत्व

कृषि के महत्व पर जितना कहा जाए कम ही होगा। हालांकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट आती गई है तथापि कृषि और वानिकी (फॉरेस्ट्री) एवं मछुआगिरी (फिशिंग) (परन्तु खनन और उत्खनन को छोड़कर) जैसे कशषि से संबंधित क्षेत्रों का भारत के जीडीपी में अंशदान करीब 14 प्रतिशत है, निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत है और यह हमारी आधी आबादी की आजीविका का सहारा है। इसके अलावा, यह अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है।

खाद्य सुरक्षा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर और वर्तमान न्यून ग्रामीण आय में वृद्धि जैसे अनेक लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से कृषि विकास दर को उच्चतर स्तर पर ले जाना जरूरी है।

सापेक्षिक योगदान का विचार किए बगैर भी 2013–14 तक विगत पाँच वर्षों में कषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 401 प्रतिशत रहा है (2013–14 के लिए अग्रिम अनमान के आधार पर)। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी समान वृद्धि दर की कल्पना की गई है।

वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि की स्थिति बेहतर हुई है। भारत विश्व में दूध और दलहन का सबसे बड़ा और चावल, गेहूँ, फलों, सब्जियों, गन्ना आदि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश

है। वर्ष 2011–12 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन से ज्यादा हुआ। चावल का उत्पादन 100 मिलियन टन और गेहूँ का उत्पादन 90 मिलियन टन से ज्यादा हुआ।

2011 के आँकड़ों के अनुसार भारत की कृषि योग्य भूमि 159.7 मिलियन हेक्टेयर (394.6 मिलियन एकड़) है जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रकबा है। भारत में 82.6 मिलियन हेक्टेयर (215.6 मिलियन एकड़) में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो विश्व में सबसे ज्यादा है।

जीडीपी में इसके सापेक्ष हिस्से में गिरावट के बावजूद अनेक नवोन्मेशी कदम उठाए जा रहे हैं और विगत कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र का प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा रहा है। तथापि खेतिहर मजदूरों की कमी एक बड़ी बाधा है जो निकट भविष्य में विकराल रूप ले सकती है।

कृषि से किसी परिवार के केवल वयस्क पुरूषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी रोजगार मिलता है। स्त्रियों प्रमुख अनाजों और मोटे अनाजों की पैदावार, खेत तैयार करने, बीजों के चुनाव और बिचड़ों के उत्पादन, बुवाई, खाद पटाई, खर–पतवार निकालने, रोपनी, दौनी, ओसौनी और फसल कटाई में व्यापक तौर पर काम करती है।

समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कृषि में तीव्र, संवहनीय और विविधतापूर्ण वृद्धि देश की मुख्य प्राथमिकता बनती है। कृषि में घटती श्रमशक्ति के माहौल में पैदावार या उत्पादकता बढ़ाना वृद्धि का मुख्य उपाय है जिसकी गति तेज करने की जरूरत है। विकसित और अन्य विकासशील देशों के खेतों से अनाज की अपेक्षित सर्वश्रेष्ठ पैदावार की तुलना में भारत में अनाज की पैदावार अभी भी महज 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। उन्नत बीजों के विभिन्न प्रकार, व्यापक विस्तारित सेवाओं और खेती का मशीनीकरण, ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके लिए हस्तक्षेप और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कृषि संबंधित श्रमिक संख्या : एक विहंगावलोकन

रोजगार के आँकड़े नैशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) से प्राप्त होते हैं जो रोजगार और बेरोजगारी के चक्र के आधार पर होते हैं। प्रयुक्त आँकड़ें 55वें चक्र (1999–2000), 61वें चक्र (2004–05), 66वें चक्र (2009–10) और 68वें चक्र (2011–12) से संबंधित हैं।

आँकड़ों से पता चलता है कि 2004–05 से भारत में समग्र रोजगार वृद्धि कमजोर चली आ रही है। 2004–05 के बाद से श्रमिक संख्या से जुड़ने वाले लोगों की संख्या औसतन महज 2 मिलियन थी जबकि इसकी तुलना में 1999–2000 और 2004–05 के बीच श्रमिक संख्या में हर साल लगभग 12 मिलियन लोग जुड़ते थे।

तथापि, 2004–05 के बाद से गैर–कृषि रोजगार से हर साल दरअसल लगभग 6 मिलियन लोग जुड़ते रहे थे क्योंकि उसके बाद से कृषि में संलग्न श्रमिकों की शुद्ध संख्या में गिरावट होने लगी जो लगातार जारी है। 2004–05 और 2011–12 के बीच कृषि में श्रमिक संख्या में लगभग 30.57 मिलियन तक की गिरावट आई, हालाँकि कुल श्रमिक संख्या में बढ़ोतरी हुई। यह पहली ऐसी अवधि थी जब खेती में शुद्ध संख्या में गिरावट दर्ज की गई।

ऐसा देखा गया है कि समय के साथ जैसे–जैसे आर्थिक प्रगति विकास की दिशा में बढ़ती है, वैसे–वैसे श्रमिकबल में अर्थतंत्र के प्राथमिक क्षेत्र से बाहर होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इस विश्वव्यापी अनुभवजन्य तथ्य के अनुरूप भारत में भी कृषि में संलग्न लोगों की संख्या में 2011–12 के 49 प्रतिशत से 1999–2000 के 60 प्रतिशत तक लगातार गिरावट आती गई है।

आम तौर पर अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ–साथ अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों का कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में और इस तरह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों एव कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले क्षेत्रों में गमन होने लगता है। अर्थव्यवस्था वृद्धि की गति में तेजी के साथ इस गमन की गति भी बढ़ती है जिससे गैरकृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं।

गोल्डमैन सैश (2014) के आकलन के अनुसार श्रमिकों की उत्पादकता कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में 4 गुणा और सेवा क्षेत्र में 6 गुणा ज्यादा होती है। उच्चतर उत्पादकता का अर्थ है उच्चतर मजदूरी। इसलिए, कृषि छोड़कर जाना स्वाभाविक है। बुनियादी क्षेत्रों में प्रौद्योगिक उन्नति से अनेक मामलों में कम श्रमिक और उच्चतर पूँजी निवेश का माहौल बनता है और इस तरह के स्थानांतरण का यह भी एक कारण है।

भारत में भी श्रमिक गतिशीलता में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन इसका असर केवल कुल रोजगार में कृषि की घटती हिस्सेदारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कृषि क्षेत्र के रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। दो कालखण्डों, 2004–05 और 2011–12 की तुलना से पता चलता है कि देश में कुल कामगारों की संख्या में जहाँ लगभग 10 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है वहीं कृषि में लगे श्रमिकों की संख्या में 30.57 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है।

इस प्रक्रिया में उसी अवधि के दौरान कुल श्रमिकों की तुलना में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 56.7 प्रतिशत से घटकर 48.8 प्रतिशत पर आ गया है (प्रमुख और आनुशांगिक गतिविधियों के विचार से)। इससे न केवल यह पता चलता है कि कशषि से जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या कम हो रही है बल्कि अन्य क्षेत्रों की ओर सकल पलायन की स्थिति भी स्पष्ट होती है।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 181.5 मिलियन की वृद्धि हुई जिसमें आधी वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में थी। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य आधार है, इसलिए इससे तो यही लगता है कृषि के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए।

इसके सिवा, भारतीय कृषि क्षेत्र में काफी हद तक बेरोजगारी व्याप्त है। यानी, अगर कृषि में श्रमिकों की संख्या कुछ कम हो भी जाए तो उत्पादन और पैदावार में कोई फक्र नहीं पड़ेगा। इन दोनों से माना जा सकता है कि कृषि में श्रमिक उपलब्धता की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यही आम धारणा रही है।

दूसरी ओर खासकर अनाज के पदावार में विगत कई वर्षों में बढ़ोतरी होती रही है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1999–2004 के बीच अनाज की पैदावार की चक्रित वार्षिक दर (सीएजीआर) 0.1 प्रतिशत थी लेकिन इसमें 2004–2009 के बीच 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तक्र दिया जाता है कि अगर कृषि श्रमिकों की कमी होती तो पैदावार में बढ़ोतरी संभव नहीं होती।

तथापि, तथ्य यह है कि कृषि से काफी व्यापक और तीव्र पलायन हुआ है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में सकल श्रम माँग कम करने के लिए फिलहाल श्रमिकों की कमी की भरपाई के पर्याप्त उपाय नहीं हो रहे हैं। नतीजतन, भारत के अनेक राज्यों के प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों की भारी कमी और खेतिहर मजदूरी में उछाल देखा जा रहा है जिससे किसानों के मुनाफे पर बुरा असर हो रहा है।

कृषि श्रमिक की उपलब्धता का राज्यवार और फसलवार प्रभाव

यह कमी सभी बड़े राज्यों में समान कमियों के सकल प्रभाव के कारण है। इस कमी में केवल पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान का योगदान करीब 79 प्रतिशत है जबकि बाकी राज्यों का 21 प्रतिशत।

राज्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में हालाँकि कमी का पैमाना बड़ा नहीं है तथापि इसमें इन राज्यों में 2004–05 में मौजूद कृषि श्रमिकबल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2004–05 और 2011–12 के बीच इन सभी राज्यों में कृषि श्रमिकबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि से बाहर हो गया है।

समग्र फसलों के लिए श्रम–प्रधानता

हालाँकि श्रमिकों की कमी से कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है, तथापि यह प्रभाव कतिपय ऐसे फसलों के मामले में ज्यादा गंभीर होता है जिनके लिए प्रति इकाई खेती में ज्यादा श्रम घंटे की आवश्यकता

होती है और जो देश में व्यापक पैमाने पर उगाई जाती है। इन दो घटकों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि धान, गेहूँ, कपास, गन्ना और मूँगफली जैसी फसलें श्रमिक अल्पता से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

सभी राज्यों के लिऐ पाँच प्रमुख फसलों का विस्तार और व्यापकता का विष्लेषण किया गया है।

- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इन पाँच प्रमुख फसलों का रकबा सबसे ज्यादा है जिनमें सभी मामलों में धान का हिस्सा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कपास का रकबा भी अधिक है जबकि आंध्र प्रदेश में मूँगफली और कपास दोनों का।
- बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल का स्थान दूसरी श्रेणी में है। इन राज्यों में से पंजाब में गेहूँ का रकबा ज्यादा है जबकि गुजरात में कपास और मूँगफली का।

इन राज्यों में श्रमिक की कमी से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है और इनकी खेती में श्रम–प्रधानता कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

अनेक नई रिपोर्टों और लोक साक्ष्यों से विभिन्न राज्यों में इन प्रमुख फसलों में कुछ पर श्रमिक अल्पता के प्रभाव का पता चलता है। उदाहरण के लिए, आँध्र प्रदेश में, जहाँ 2004–05 और 2011–12 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 प्रतिशत कृषि श्रमबल का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ, कथित तौर पर चावल की खेती में उल्लेखनीय श्रमिक अल्पता देखी गई।

इस राज्य में लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर में चावल की और लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक में कपास एवं मूँगफली की खेती होती है। खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण किसानों ने चावल की सद्यन खेती और मशीनीकरण का सहारा लिया है। निम्नलिखित समाचार से इसका पता चलता है।

पश्चिम गोदावरी, आँध्र प्रदेश में श्रमिक की कमी से चावल की पैदावार प्रभावित

पश्चिम गोदावरी जिले में 0.25 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है जो उद्यानकृषि संबंधी ताड़, आम, गन्ना, तम्बाकू और मिर्ची जैसी कतिपय अन्य नगदी फसलों के साथ जिले की प्रमुख फसल है। इस जिले में श्रमिकों की कमी की समस्या रही है जिसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा श्रमिकों की जरूरत कम करने के उद्देश्य से मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया।

जिला प्रशासन ने जिले के अंदर मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहयोग लेकर अनुदान के सहारे किसानों को पावर टिलर, कम्बाइंड हार्वेस्टर, ट्रांस्प्लांटर और अन्य उपकरणों का वितरण किया।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 जनवरी, 2020
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, जनवरी 2020

इन मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की आवश्यकता में महत्त्वपूर्ण कमी आने और खेतिहर मजदूरों की कमी से परेशान किसानों को जरूरी सहयोग मिलने की उम्मीद है।

आँध्र प्रदेश सरकार ने 2013–14 के बजट में राज्य में खेती में मशीनीकरण के लिए 2,500 करोड़ रूपये का आबंटन किया था।

इसी प्रकार के प्रभाव अन्य श्रम–प्रधान फसलों के संदर्भ में भी देखे गए हैं। गुजरात का ही उदाहरण लें, जहाँ वर्ष 2011 में गन्ने की कटाई के लिए श्रमिकों की कमी के कारण किसानों को अपनी पैदावार नष्ट कर देनी पड़ी थी।

गुजरात में गन्ना कटाई पर श्रमिक अल्पता का प्रभाव

गुजरात के सूरत जिलें में कटाई के लिए श्रमिकों की कमी के कारण किसानों द्वारा करीब 0.14 मिलियन हेक्टेयर में खड़ी गन्ने की फसल नष्ट कर दी गई। गन्ने की कटाई के लिए विशेष कुशलता ही आवश्यकता होती है। परांपरागत तौर पर पड़ोसी महाराष्ट्र के धुलिया और जलगाँव क्षेत्रों से दक्षिण और मध्य गुजरात में हर साल प्रवास करने वाले खेतिहर मजदूरों द्वारा यह काम किया जाता रहा है।

ऐसे प्रवासी मजदूरों की कमी के कारण अनेक किसानों ने या तो ट्रैक्टरों का सहारा लिया या फसल को जला दिया ताकि खड़ी फसल को सड़ने से रोका जा सके और नई फसल की बुवाई के लिए खेत खाली किया जा सके। परिणामस्वरूप किसानों और कारखानों दोनों ही को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

नव–वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाऐं

भारत कृषक समाज की ओर से अपने सभी सदस्यगणों, शुभ चिन्तकों तथा कृषक समाचार के पाठकों को नव–वर्ष की ढ़ेर सारी शुभकामनाऐं और समाज आशा करता है कि नव–वर्ष 2020 आप सभी के जीवन में खुशहाली लाऐगा तथा हमारे किसान भाइयों को समृद्ध बनाऐगा।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।